सत्यमेव जयते

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मई, 2013

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व-क्षमता विकास की योजना

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली
(मई, 2013 में संशोधित)

विषय सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	पृष्ठभूमि	3
2	लक्षित समूह और लक्ष्यों का वितरण	4
3	उद्देश्य	4
4	पात्र संगठन	4–5
5	परियोजनाओं का कार्यान्वयन	5
6	नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल	6
7	संगठन द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप	7–10
8	संगठन के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार	10–11
9	निर्धारित वित्तीय मानक	11–12
10	मंत्रालय के लिए प्रशासनिक व्यय	12–13
11	वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य	13
12	विज्ञापन	13
13	संगठनों का चयन करने संबंधी मानदंड	13–15
14	संगठनों का चयन करने हेतु समिति	15
15	परियोजना प्रस्ताव की तैयारी और प्रस्तुतीकरण	15–16
16	परिणाम का आकलन	17
17	स्वीकृति प्रदाता समिति	17
18	धनराशि जारी करने हेतु नियम एवं शर्तें	17–19
19	किस्तों में धनराशि जारी किए जाने संबंधी अपेक्षाएं	20–21
20	इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निधि का अंतरण	21
21	पारदर्शिता	21
22	निगरानी एवं मूल्यांकन	21–22
23	योजना की समीक्षा	22

''नई रोशनी''

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

1. पृष्ठभूमि

1.1 देश में महिलाओं की स्थिति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं की स्थिति, ठीक नहीं है। बालिका को भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता जैसे पारिवारिक संसाधनों के आवंटन में अपने जन्म से पूर्व में और बाद में भेद–भाव का सामना करना पड़ता है और कभी–कभी कौमार्यावस्था में ही शीघ्र विवाह के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलायें खाना पकाने, जल लेकर आने, बच्चों को स्कूल भेजने, खेतों में काम करने, पशुओं को चारा देने तथा गायों का दूध निकालने जैसे अल्प–परिमाप्य कार्यों के भार से दोहरे रूप में दबी हुईं हैं जबकि पुरुष घर में उत्पादित दूध और अनाज बेचने जैसे परिभाषित कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी कार्य के भार से बुरी तरह दबे रहना पड़ता है। वे केवल अल्पसंख्यक नहीं हैं अपितु 'दरकिनार की हुई बहुसंख्यक' हैं तथा परिवार में निर्णय लेने के क्रम में अलग–थलग पड़ी हुई हैं और समुदाय कार्यों तथा सामाजिक संस्थानों से मिले लाभों के समान हिस्से की पूर्णतः भागीदार नहीं हैं।

1.2 महिलाओं को परस्पर सशक्त बनाना न केवल समानता के लिए आवश्यक है, अपितु यह निर्धनता में कमी लाने, आर्थिक विकास और नागरिक समाज को सुदृढ़ करने की हमारी लड़ाई में भी एक आवश्यक घटक है। गरीबी से बेहाल परिवारों में महिलाओं और बच्चों को सदैव ही सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उन्हें सहायता की जरूरत होती है। महिलाओं, विशेषकर माताओं को सशक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर ही वह स्थान है जहां वे अपने बच्चों का पालन–पोषण करती हैं और उनका चरित्र–निर्माण करती हैं।

1.3 भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (जिसे सच्चर समिति रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) में इस तथ्य को उजागर किया गया था कि भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूह–मुस्लिम, जिनकी संख्या 13.83 करोड़ है, को विकास–पथ से अलग रखा गया है और इस समूह में मुस्लिम औरतें दोहरी वंचना की शिकार हैं।

1.4 इसी के मद्देनज़र, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011–12 में योजना को पुनः तैयार किया गया है और इसे "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना" का नया नाम दिया गया। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2012–13 में शुरू किया गया।

1.5 कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष के अनुभव के आधार पर, योजना में विशिष्ट संशोधन लाने की ज़रूरत महसूस की गई ताकि लक्षित समूहों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा आधारिक स्तर पर कार्यान्वयन हो सके और इसीलिए 6 मार्च, 2013 को स्थायी वित्त समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया। उनकी सिफारिशों के अनुरूप, योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखे जाने के लिए उसमें निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं:

2. लक्षित समूह और लक्ष्यों का वितरण

2.1 लक्षित समूहों में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यकों अर्थात् मुस्लिमों, सिक्खों, बौद्धों, ईसाईयों, और पारसियों से संबंधित महिलाएं शामिल हैं। तथापि, समाज के बहुलता के स्वरूप को और सुदृढ़ता प्रदान करने तथा अपने भाग्य को संवारने के स्वयं के प्रयासों में समैक्य और एकता लाने की दृष्टि से, योजना में परियोजना प्रस्ताव के अधिकतम 25% तक मिश्रित रूप से गैर–अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को भी शामिल किये जाने की अनुमति है। संगठन द्वारा यह प्रयास किए जाने चाहिए कि इस 25% के समूह में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं, विकलांग महिलाओं और अन्य समुदाय की महिलाओं का मिश्रित प्रतिनिधित्व हो।

2.2 पंचायती राज्य संस्थाओं के अंतर्गत किसी भी समुदाय की चुनी गई महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) को प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए राजी करने के प्रयास किए जाएंगे।

3. उद्देश्य

3.1 इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ कार्य व्यवहार करने हेतु जानकारी, साधन तथा तकनीकें मुहैया कराकर अल्पसंख्यक महिलाओं सहित उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदाय की उनकी पड़ोसियों को सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है।

3.2 अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को अपने घरों तथा समुदाय की सीमाओं से बाहर निकलने तथा अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार के विकास लाभों के अपने मिलने वाले हिस्से का दावा करने सहित सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों तक पहुंच बनाने में सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप में नेतृत्व भूमिकाओं का उत्तरदायित्व लेने के लिए सशक्त तथा साहसी बनाना।

4. पात्र संगठन

4.1 इस योजना के तहत परिकल्पित पोषक/हैंडहोल्डिंग सेवाएं, जो हिमायत से भी जुडी हैं, एक क्षेत्र गहन कार्य है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सुविधा प्रदाता लक्षित समूह के द्वार पर सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य में निरंतर लगे रहें। योजना को कार्यान्वित करने वाले संगठन के कार्मिकों को समय–समय पर गांवों/क्षेत्रों का दौरा करना आवश्यक होगा ताकि नेतृत्व से जुड़ा प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला वर्ग को पोशक/ हैंडहोल्डिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें और इस प्रकार उन महिलाओं को सिखाई गई तकनीकों और यंत्रों के इस्तेमाल की जानकारी दी जा सके और वे अपने प्रयासों से लाभ प्राप्त कर सकें। इस तरह के क्षेत्र गहन कार्य उच्च रूप से प्रेरित और समर्पित समुदाय आधारित संगठनों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। महिलाओं की कार्य प्रकृति घर के अंदर रहने की होने के कारण यह महत्वपूर्ण है कि योजना को कार्यान्वित कर रहे संगठन के पास महिलाओं के पास गांवों/क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण संचालित करने के लिए कार्मिक, संसाधन और अनुभव हो।

4.2 संगठन के पास मान्यता प्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में अथवा अपने स्वयं के सुविधा–केंद्रों में आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसाधन और पूर्व अनुभव होना चाहिए। इसलिए, यह आवश्यक है कि जिन संगठनों की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक हो तथा प्रेरणा और समर्पण भाव से युक्त हों और गांवों/क्षेत्रों में ऐसा प्रशिक्षण संचालित करने के लिए जनशक्ति और संसाधन हों तथा जो मान्यताप्राप्त सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी कर सकते हों, वे इस योजना के कार्यान्वयन में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। इसका आशय यह नहीं है कि इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को भाग न लेने दिया जाए।

4.3 इस योजना के तहत जो संगठन वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं, वे इस प्रकार हैं:–

i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी।

ii) विद्यमान किसी भी कानून के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास।

iii) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा–25 के तहत पंजीकृत गैर–लाभ वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी।

iv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान।

v) केन्द्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशिक्षण संस्थान तथा पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान।

vi) महिला/स्व–सहायता समूहों की विधिवत पंजीकृत सहकारी सोसाइटियां।

4.4 इसमें इसके बाद प्रयुक्त होने वाले "संगठनों" शब्द का आशय ऊपर उल्लिखित संगठन तथा उक्त परिभाषा के अंतर्गत आने वाले गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) होंगे।

5. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

5.1 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संगठनों के माध्यम से नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

5.2 चुनिन्दा संगठन परियोजना को अपने सांगठनिक ढांचें के माध्यम से इलाके/ग्राम/क्षेत्र में सीधे कार्यान्वित कर सकते हैं।

5.3 परियोजना को समुचित और सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी उस संगठन की होगी जिसे मंत्रालय द्वारा कार्य सौंपा गया है।

6. नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल

6.1 नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण मॉड्यूलों में निरपवाद रूप से संविधान और विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आजीविका इत्यादि से जुड़े महिलाओं के सरोकारों और अधिकारों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, प्रतिरक्षण, परिवार नियोजन, रोग नियंत्रण, उचित मूल्य की दुकान, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, साफ–सफाई, आवास, स्व–रोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण अवसर, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध इत्यादि के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर, सुविधा और सेवा कवर होनी चाहिए। इन मॉड्यूलों में पंचायती राज और नगरपालिका में महिलाओं की भूमिका, महिलाओं के कानूनी अधिकार, सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा), घरेलू सर्वेक्षण और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची/कार्य–रीतियां, आधार/यूआईडी नं0, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालय ढांचा और कार्य की जानकारी, निवारण मंचों/तंत्रों आदि को भी कवर किया जाएगा।

6.2 आधारिक स्तर के स्थानीय संगठनों को नियोजित करते हुए स्थानीय मुद्दों/जरूरतों पर आधारित विशिष्ट प्रशिक्षण मॉडॅयूल तैयार किए जाएंगे। यह मंत्रालय मॉड्यूल तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आदि से भी सलाह–मशविरा कर सकता है। प्रशिक्षण मॉड्यूलों को हिंदी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं की डीवीडी में भी रूपांतरित किया जाएगा। लागत का वहन योजना के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय से किया जाएगा।

6.3 प्रशिक्षण मॉड्यूल इस तरह से तैयार किए जाएंगे जिससे कि प्रशिक्षण संबंधी इनपुट्स संक्षिप्त चरणों में दिए जा सकें।

6.4 प्रशिक्षण मॉड्यूल को और अधिक रुचिकर तथा व्यापक बनाने की दृष्टि से प्रशिक्षण सामग्री में श्रव्य–दृश्य सामग्री और विषय से जुड़े अध्ययन शामिल किए जाएंगे। संगठनात्मक क्षमता, संवाद कौशल, स्व–विकास और सुस्पष्टता, संभाषण और सार्वजनिक रूप में भाषण, क्षमता निर्माण, वार्ता और विवाद समाधान आदि प्रशिक्षण के अभिन्न अंग होंगे। सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए और योजना को और जीवंत एवं सहक्रियात्मक बनाने हेतु समूह अभ्यास और वाद–विवाद को प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। यदि संभव हो तो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहीं महिलाओं के साथ संवाद और अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में बोलने के लिए सरकारी संस्थाओं, बैंकरों आदि को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

6.5 आवश्यक होने पर, मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास से जुड़ी उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल/सामग्री को तैयार करने के लिए बाहर से विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी को नियोजित किया जाना चाहिए।

6.6 अनुमोदन प्रदानकर्ता समिति बाहरी विशेषज्ञ/परामर्शक/एजेंसी और चयनित संगठन द्वारा तैयार किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूलों को अनुमोदित करने/उनकी अनुशंसा करने संबंधी समिति का कार्य भी करेगी। इस समिति में इस योजना के उद्देश्यों से जुड़े गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और वे मंत्रालय/विभाग जिनकी योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों को प्रशिक्षण मॉड्यूलों में शामिल किया गया हो, की योजनाओं का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव समिति के सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

7. संगठनों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप

7.1 **गांवों/शहरी इलाकों का चयनः** संगठन द्वारा अल्पसंख्यक आबादी की पर्याप्त प्रतिशतता वाले ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण/शहरी इलाकों को नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए चयन किया जाएगा। उन गांवों की सूची, जहां ग्रामीण/शहरी इलाकों में प्रशिक्षण आयोजित किए जाने प्रस्तावित हैं, अल्पसंख्यक आबादी की प्रतिशतता की सूचना के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। ये सूचियां स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित होंगी तथा परियोजना प्रस्तावों सहित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सीधे भेजते हुए भारत सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।

7.2 **प्रशिक्षण हेतु महिलाओं की पहचान और चयन मानदंडः** अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए प्रशिक्षण संचालन हेतु चयनित संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अल्पसंख्यक बहुल आबादी वाले गांवों/इलाकों से योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु महिलाओं का चयन, पहचान और प्रेरित करें। महिला प्रशिक्षुओं की पहचान/चयन हेतु संगठनों में ग्राम पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख शामिल होंगे और ऐसी सूचियां पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित होंगी। संगठन द्वारा प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले सूची प्रस्तुत की जाएगी।

7.3 **पात्र महिला प्रशिक्षणार्थीः** यद्यपि वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं होगी, फिर भी उन महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु चयन में वरीयता दी जाएगी जिन महिलाओं के माता–पिता अथवा संरक्षक के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो। प्रशिक्षण हेतु चयनित महिलाएं 18 वर्ष से 65 वर्ष आयु वर्ग के बीच की होनी चाहिए।

7.4 **आधार/यू आई डी नम्बरः** देश के सभी नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या, जिसे आधार नाम दिया गया है, दी जा रही है। आधार नम्बर उस संगठन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए, जहां से यह जारी किया गया है तथा प्रशिक्षण के लिए चयनित महिला के नाम के सामने इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। संगठन, ज़िला कलैक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट के कार्यालय अथवा केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सरकारों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) इत्यादि द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य किसी संस्थान, संगठन से अपना आधार नंबर प्राप्त करने में महिला प्रशिक्षणार्थियों की सहायता भी करेंगे।

7.5 **प्रशिक्षण के प्रकारः** नेतृत्व विकास प्रशिक्षण दो तरह के होंगे अर्थात् गैर–आवासीय एवं आवासीय तथा प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के चयन के मानदंड इस प्रकार होंगे :–

(क) **ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गैर–आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण** : विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित 25 ग्रामीण महिलाओं को एक बैच में नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन 25 महिलाओं के समूह में कम–से–कम 10% महिलाओं ने 10वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य कक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यदि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण महिलाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हैं तो इसमें छूट प्रदान करते हुए इसे 5वीं कक्षा अथवा इसके समतुल्य कक्षा तक किया जा सकता है। संगठनों से यह अपेक्षित होगा कि वे इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों के पांच बैचों के सेटों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(ख) **आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण** : एक गांव/शहरी क्षेत्र की अधिकतम 5 महिलाओं (एक बैच) को आवासीय प्रशिक्षण के लिए 25 महिलाओं के समूह में से आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण के लिए चयन किया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को कम–से–कम बारहवीं अथवा उसके समतुल्य कक्षा का प्रमाण–पत्र धारी होना चाहिए। ऐसी महिलाओं के आसानी से उपलब्ध न होने पर 10वीं कक्षा की प्रमाण–पत्र धारी ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जा सकता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्णतः ठीक हों तथा विशेषतः अल्पसंख्यक महिलाओं के कल्याण और बेहतरी तथा सामान्यतः समाज के कल्याण के कार्य के लिए समर्पित, प्रतिबद्ध एवं प्रेरित हों। उन्नत प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं से आशा की जाएगी कि वे गावों में समुदाय आधारित नेतृत्व प्रदान करते हुए योजना के तहत यथा परिकल्पित नेता/प्रशिक्षकों की भूमिका निभाएं। योजना के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये महिलाएं सरकारी एजेंसियों और संगठनों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी।

7.6 प्रशिक्षण संचालन :

1) **इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेषतः** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाओं को अपने घरों में रहना होता है तथा वे घर से अधिक दूर नहीं आ सकती हैं और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि विशेषतः ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए और सामान्यतः समुदाय के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाली युवा एवं शिक्षित महिलाएं हो सकती हैं, योजना के तहत दो तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है।

2) यह परिकल्पना है कि नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करेंगी।

3) संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए इन महिलाओं की कम से कम एक वर्ष के लिए देखरेख और सहायता करेंगे ताकि शक्तिप्राप्त ग्रामीण महिलाएं आधारभूत अवसंरचना तथा

सेवाओं की उपलब्धता/अनुलपब्धता से जुड़ी, परियोजना की तैयारी के दौरान अभिनिर्धारित गांवों/क्षेत्रों की जरूरत और तैयारी में बेहतरी के समान, अपनी शिकायतों/समस्याओं को ग्राम/ब्लॉक/जिला/राज्य प्राधिकरणों तक ले जाने में दबाव समूह का कार्य करने में सक्षम हो।

4) संगठन को यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि देख–रेख/हैंड होल्डिंग के लिए लगाईं गई सेवा प्रदाता यथा निर्धारित गांवों/शहरी क्षेत्रों का दौरा करे, तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम दें तथा प्रगति की सूचना दें तथा उसे जरूरत पड़ने पर संगठन की सहायता प्राप्त हो।

5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा :–

(क) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में गैर–आवासीय प्रशिक्षण : गांव/इलाकों में प्रशिक्षण का संचालन विद्यमान सुविधाओं का इस्तेमाल करके अथवा किराए पर स्थायी इमारत को लेकर किया जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि 6 दिनों की होगी और प्रत्येक दिवस छहः घंटों के लिए होगा। यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसमों की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियों से प्रशिक्षण की तिथियां मेल न खाए। संगठन द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूलों के आधार पर क्षेत्र की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आय/मजदूरी की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए प्रशिक्षण हेतु चयनित महिलाओं को भत्ता/वृत्तिका के साथ–साथ आहार और दिन में प्रशिक्षण के दौरान उनके बच्चों के लिए शिशुसदन की व्यवस्था की जाएगी। संगठनों द्वारा प्रशिक्षण देने के कार्य में लगाए गए प्रशिक्षकों में कम से कम दो–तिहाई प्रशिक्षक महिलाएं होंगी जो प्रशिक्षण मॉड्यूल में दिए गए विषयों पर अपना व्याख्यान उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में देने में सक्षम होंगी।

(ख) आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षणः चयनित पात्र महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों में नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। संगठनों के प्रशिक्षण संस्थानों में आवासीय प्रशिक्षणों को अनुमोदित करने के लिए, संबंधित संस्थान के पास किसी सुरक्षित स्थान पर कम–से–कम 25 महिलाओं के लिए आवास/भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका जिला प्रशासन द्वारा सत्यापन किया जाएगा। प्रशिक्षण मॉड्यूलों के आधार पर संगठन द्वारा क्षेत्र विशेष की स्थानीय भाषा में मुद्रित प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई

जाएगी। यह सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाएगा कि मौसम की मांग और धार्मिक अवसरों/त्यौहारों की तिथियों से प्रशिक्षण की तिथियां मेल न खाए। योजना में पूरा प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण सामग्री, आवास, भोजन, जलपान तथा यात्रा व्यय शामिल होगा। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के लिए भत्ता/वजीफा प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण का संचालन कर रहे संगठन की यह जिम्मेदारी होगी कि योजना के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण हेतु ऐसी महिलाओं का चयन करे, जो प्रशिक्षक बनने की क्षमता रखती हों और नेतृत्व भूमिका ग्रहण करने हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमता रखती हों।

7.7 **कार्यशाला:** प्रशिक्षण संगठन, जिला कलेक्टर /उपायुक्त/उप–संभागीय अधिकारी/खंड विकास अधिकारी के साथ मिलकर जिला/उप–संभाग /ब्लॉक आदि पर सरकारी संस्थानों, बैंकरों और पंचायती राज्य संस्थाओं को इस योजना के तहत चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की जानकारी के लिए कम–से–कम आधे दिन की कार्यशाला आयोजित करेंगे। सरकारी पदाधिकारियों को उन सुधारात्मक कार्रवाइयों से अवगत कराया जाएगा, जिसकी मांग महिला समूहों द्वारा हो सकती है तथा उनकी समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए वे कैसे अनुक्रियाशील हो सकते हैं। यदि संबंधित जिला/उप–संभाग/ब्लॉक में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक से अधिक संगठन स्वीकृत हैं तो जिला प्रशासन इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेदारी चुने हुए किसी एक संगठन को सौंप सकती है। चयनित संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस योजना के तहत अन्य संगठनों की जिले/उप–संभाग/ब्लॉक में स्वीकृत प्रशिक्षण परियोजनाएं कार्यशाला में शामिल हों। कार्यशाला आयोजित करने के लिए, संबंधित संगठन को ₹15,000 की राशि स्वीकार्य होगी।

7.8 **देख–रेख एवं सहायता (हैंड होल्डिंग):** देख–रेख एवं सहायता, संगठन द्वारा प्रशिक्षण के बाद उन महिलाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ होने से लेकर अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक सेवा स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिन्होंने नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण लिया हो। संगठन के सुविधा–प्रदाता परियोजना अवधि के दौरान एक माह में कम–से–कम एक बार शक्तिप्रदत्त महिलाओं की सहायता के लिए गांव/इलाकों का दौरा करेंगे। यह, योजना की सफलता के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें अपनी समस्याओं और शिकायतों को इस योजना में यथा परिकल्पित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता मिल रही है।

7.9 **समवर्ती निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत करना :** संगठन देख–रेख एवं सहायता सेवाएं प्रदान करते समय यथा अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए समवर्ती निगरानी करेगा। संगठन, निर्धारित किए

जाने वाले प्रारूपों में परियोजना पूरा होने के आशय की रिपोर्ट तथा मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। मंत्रालय की अपेक्षानुसार संगठन द्वारा ऐसी रिपोर्टें राज्य और जिला प्रशासन को भी प्रस्तुत करनी होंगी। इसके अतिरिक्त, संगठन जी0पी0एस0 समर्थित मोबाइल फोन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य क्रियाकलापों यथा संकाय द्वारा किए गए संबोधन, सरकारी तंत्रों, प्रदान किए जा रहे मध्याह्न भोजन/भोजन, श्रव्य–दृश्य उपकरणों के प्रयोग तथा शिकायतों के निपटान के लिए प्रस्तुत याचिकाओं/पेश आ रही समस्याओं, आयोजित की जा रही कार्यशाला आदि की फोटो भेजेंगे।

8. संगठन के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार

8.1 प्रस्ताव के साथ–साथ, संगठन कम–से–कम पांच ग्रामीण/क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण के बैच हेतु परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। संगठन 5 (पांच) गैर–आवासीय ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षणों की प्रत्येक परियोजना के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में ₹ 25,000 की राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो परियोजना के सफल कार्यान्वयन तथा समुचित एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए होंगी। ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के गैर–आवासीय प्रशिक्षण के लिए संगठन को देय एजेंसी शुल्क/प्रभार में संगठन से संबद्ध व्यय अर्थात् समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग, प्रशासनिक लागतें तथा योजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित अन्य सभी व्यय आदि शामिल होंगे।

8.2 आवासीय प्रशिक्षण के संदर्भ में, प्रशिक्षणार्थियों के एक बैच के लिए ₹ 15,000/– मात्र की राशि एजेंसी शुल्क/प्रभार के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी।

9. निर्धारित वित्तीय मानक

9.1 संगठन को योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नीचे सारणी में दी गई मद्–वार दरें संकेतात्मक हैं तथा कार्य संचलन क्षेत्र, प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभारित शुल्क, बोर्डिंग लागत आदि के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती हैं। प्रत्येक तरह के प्रशिक्षण के लिए उल्लिखित कुल लागत 25 महिलाओं के बैच के लिए स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अनुमन्य लागत होगी। तथापि, निर्धारित भत्ता/वेतन को छोड़कर मद्–वार लागत अंतः परिवर्तनीय होंगी, बशर्ते कि वह कुल अनुमन्य राशि से अधिक न हो। प्रशिक्षण, यात्रा आदि के संदर्भ में होने वाले प्रस्तावित व्यय के लिए संगठन द्वारा परियोजना प्रस्ताव में सहायक एवं आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे। दरें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं :–

महिलाओं के लिए गांवों/मुहल्लों में गैर–आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु दरों के ब्यौरे

क्रम सं.	नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद	व्यक्तियों की संख्या	संकेतात्मक दर (रु0)	अवधि/यूनिट	कुल लागत (रु0)
1	**(i) ग्रामीण/मुहल्लों में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण**				
	(क) संकाय सदस्यों/व्यक्ति को लगाने के लिए शुल्क/मानदेय	2	500	6 दिन	6000
	(ख) संकाय सदस्यों/व्यक्ति के लिए आने जाने का मार्ग व्यय	2	2500	3 बार	15000
	(ग) संकाय सदस्यों के लिए रहने की लागत	2	250	6 दिन	3000
	(घ) स्थल, फर्नीचर और शिशु सदन सुविधा को किराए पर लिया जाना		750	6 दिन	4500
	(ङ) प्रशिक्षु महिलाओं हेतु एक बार के आहार की लागत	25	50	6 लंच	750
	(च) श्रव्य–दृश्य सहायता, प्रशिक्षण किट और रिपोर्ट के लिए विभिन्न कार्यों हेतु श्रव्य–दृश्य क्लिप को इस्तेमाल करना/किराए पर लिया जाना		2000	6 दिन	12000
	(छ) स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण सामग्री और साहित्य तथा लेखन सामग्री वितरित करने का खर्च	25	200	एक बार	5000
	(ज) महिलाओं के लिए भत्ता/वृत्तिका (चैक द्वारा लाभार्थी के खाते में देय)	25	50	6 दिन	7500
	(झ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	50	एक बार	1250
	(ञ) समवर्ती निगरानी और रिपोर्टिंग के साथ–साथ परियोजना अवधि के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा देख–रेख/पोषण लागत		400	12 महीनों के लिए प्रतिमाह एक बार	4800
2	**योग**				**66550**
3	**गैर–आवासीय ग्रामीण प्रशिक्षण के पांच बैचो के लिए कुल योग**		**66550**	**5 बैच (125 महिलाएं)**	**332750**
4	**ग्रामीण प्रशिक्षण के पांच बैचो के लिए एजेंसी शुल्क/प्रभार जोड़ें**		**25000**		**357750**

आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण हेतु दरों का ब्यौरा

क्रम सं.	नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए व्यय की मद	व्यक्तियों की संख्या	संकेतात्मक दर (रु0)	अवधि / यूनिट	कुल लागत (रु0)
1	**(i) आवासीय नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण**				
	(क) शुल्क, बोर्डिंग, आहार आदि शामिल (वास्तविक की अदायगी)	25	1000	6 दिन	150000
	(ख) साहित्य, प्रशिक्षण सामग्री, सूचना पुस्तिका, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम की प्रतियां, संगत कानून और अधिनियम, लेखन सामग्री	25	600	एक बार	15000
	(ग) संकेतात्मक परिवहन व्यय (वास्तविक की अदायगी)	25	1000	एक बार आने जाने का	25000
	(घ) महिलाओं के लिए भत्ता / वृत्तिका (चैक द्वारा लाभार्थी के खाते में देय)	25	100	6 दिन	15000
	(ङ) पात्र महिलाओं को प्रेरित करने, उनकी पहचान और उनके चयन की लागत	25	50	एक बार	1250
2	**योग**				**206250**
3	**आवासीय प्रशिक्षण के एक बैच (25 महिलाएं) के लिए एजेंसी शुल्क / प्रभार जोड़ें**		15000		221250

10. मंत्रालय के लिए प्रशासनिक व्यय

10.1 मंत्रालय को इस योजना के तहत वार्षिक आवंटन में से 1.5% भाग को अपने प्रशासनिक व्यय जैसे कम्प्यूटर और सहायक सामाग्री, जीपीएस युक्त मोबाईल फोन और सहायक सामग्री, फर्नीचर, लेखन सामग्री और साफ्टवेयर, प्रशिक्षण माड्यूलों की डीवीडी की खरीद आकड़ों के विश्लेषण और उनकी प्रविष्टि के लिए योग्य कार्मिकों / एजेंसियों की तैनाती, प्रस्तावों से संबंधित कार्य के निस्तारण, रिपोर्टों की निगरानी और मूल्यांकन, नोट तैयार करना, पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण और रिपोर्ट, मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचना और आकड़ें उपलब्ध कराने, कार्य दिवस में प्रश्न और उत्तर की सुविधा के लिए टेलीफोन की व्यवस्था अथवा ऐसे कार्यों आउटसोर्स करने, विज्ञापन जारी करने, प्रशिक्षण और पाठ्य–सामग्री के लिए परामर्शी प्रभारों आदि के लिए अलग से रखने की अनुमति होगी। राज्य / सरकारी संगठनों को इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस निर्बाध में जी0पी0एस0 आधारित मोबाइल फोन की खरीद का व्यय और सरकारी पदाधिकारियों और आंकलनकर्ताओं के दौरों पर हुआ व्यय शामिल है।

11. वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य

11.1 इस योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले जिलों, ब्लॉकों और नगरों/शहरों पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में किया जाएगा। संपूर्ण 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 2 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 40,000 महिलाओं, को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। संपूर्ण 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 75 करोड़ की निधि की आवश्यकता होगी।

12. विज्ञापनः

12.1 योजना के कार्यान्वयन के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन देकर संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।

13. संगठनों का चयन करने संबंधी मानदंड

13.1 **अनिवार्य अर्हताएं** : महिलाओं के कल्याण और विशेषकर, अल्पसंख्यक महिलाओं के मध्य कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध, समर्पित और प्रेरित संगठनों का चयन सुनिश्चित करने के लिए कठोर मानदंड अपनाया जाएगा। इन संगठनों के पास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर कार्य संचालित करने हेतु कार्मिक, वित्त और अवसंरचना होना चाहिए। संगठन द्वारा अन्य अल्पसंख्यक अपेक्षाओं पर विचार करने से पूर्व निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं पूरी की जानी अपेक्षित होंगीः–

(क) संगठन को विधिवत पंजीकृत होना चाहिए और कम–से–कम तीन वर्ष से कार्य संचालन में लगा होना चाहिए।

(ख) संगठन को वित्तीय रूप में अर्थक्षम होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में नहीं होना चाहिए। इसके लिए, प्रस्ताव के साथ पिछले तीन वर्षों की विधिवत् लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध करानी चाहिए।

(ग) संगठन को पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी सभी सांविधिक अपेक्षित बैठकें आयोजित किए हुए होना चाहिए। इसके प्रमाण में कागजात प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(घ) संगठन ने महिलाओं के उत्थान के लिए कम–से–कम एक परियोजना चलाई हुई हो और कार्यक्रम भी आयोजित किये हों जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल किये गये हों। इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ङ) स्थानीय आधारिक स्तर संगठनों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें स्थानीय प्राधिकारियों/जिला कलेक्टर/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि ऐसे संगठनों ने महिला विकास परियोजनाओं के विशेष क्षेत्र में काम किया है और अच्छे परिणाम भी दिये है।

(च) संगठन के पास कम–से–कम तीन ऐसे मुख्य प्रशिक्षक कार्मिक होने चाहिए, जो कम–से–कम स्नातक धारक/डिप्लोमाधारक हों। ऐसे सभी कार्मिकों के नामों, लिंग, शैक्षिक योग्यता, विशेषज्ञता का क्षेत्र, अनुभव की अवधि और प्रकार, पूरा डाक पता और संपर्क नम्बर की सूची दी जानी चाहिए। (एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।

(छ) संगठन को किसी सरकारी विभाग/एजेंसी द्वारा काली सूची में नहीं होना चाहिए। संगठन अथवा इसके किसी भी कार्मिक को किसी अपराधिक अथवा सिविल वाद में संलिप्त होने के कारण सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए। नोटरी द्वारा प्रमाणित एक विधिवत् शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ज) प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के लिए आवासीय प्रशिक्षण के मामले में संगठन के पास अपेक्षित आवासीय सुविधा और प्रशिक्षण स्थान और शौचालय होने चाहिए, जो कम–से–कम 25 प्रशिक्षुओं के लिए पर्याप्त हो। प्रशिक्षुओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

13.2 **आवेदन पर विचार किए जाने के लिए अपेक्षाएं** : संगठन का चयन करने के लिए निम्नलिखित अनिवार्य अपेक्षाए है। इसके लिए संबंधित संगठन द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों आदि की स्व–प्रमाणित फोटोप्रतियां जो अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है, प्रस्तुत की जानी होंगी :–

(क) संगठन को संघ उप–नियम/अनुच्छेद अंतर्नियम आदि प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) संगठन द्वारा पिछले वर्ष का आयकर निस्तारण प्रस्तुत करना होगा।

(ग) संगठन द्वारा उस राज्य और जिले का नाम दस्तावेजों के साथ (उप–नियम/संस्था के अंतर्नियम) प्रस्तुत करना होगा, जहां उसे कार्य करने का अधिकार है।

13.3 **चयन हेतु वरीयता दिया जाने वाला मानदंड** : पात्रता तथा न्यूनतम अर्हता अंक को वरीयता देते हुए संगठन की उपयुक्तता के आंकलन संबंधी मानदंड, जिनमें सरकारी निर्देशों/सामान्य

वित्त नियमावली (जीएफआर) की अपेक्षा के अनुसार संशोधन/बदलाव किया जा सकता है, नीचे दिए गए हैं :–

(क) संगठन के अस्तित्व में रहने के वर्षों की संख्या तथा न्यूनतम तीन वर्ष की अपेक्षा से अधिक कार्य करने की अवधि।

(ख) संगठन द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या।

(ग) किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा मूल्यांकित संस्थान के कार्य निष्पादन संबंधी रिकॉर्ड।

(घ) संगठन द्वारा इस योजना के तहत उस इलाके/क्षेत्र/मुहल्ले में समान सांसकृतिक माहौल में कार्यान्वित परियोजनाओं की संख्या जहां संगठन परियोजना को कार्यान्वित करने की इच्छा रखता हो।

(ङ) संगठन के लिए कार्य कर रहे सामाजिक कार्य में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधिधारी मुख्य कार्मिकों की संख्या।

(च) संगठन के लिए कार्य कर रहीं महिला फील्ड वर्करों/सुविधा प्रदाताओं की संख्या।

(छ) संगठन द्वारा सरकारी, द्विपक्षीय, बहु–पक्षीय वित्तीय एजेंसी/संस्थान अथवा संयुक्त राष्ट्र से वित्तीय सहायता प्राप्त तथा शुरू किए गए परियोजनाओं की संख्या।

13.4 उपर्युक्त 13.1 से 13.3 में उल्लिखित प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/सरकारी संस्थानों तथा केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे संगठनों/संस्थानों के संदर्भ में प्रस्ताव सीधे राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से उनकी अनुशंसाओं के साथ मंगाए जाएंगे।

14. संगठनों का चयन करने हेतु समिति

14.1 मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं तथा अपेक्षाओं को पूरा करने वाले संगठनों को, मंत्रालय में गठित समिति द्वारा, संगठन द्वारा अर्जित अर्हक अंकों तथा उसे दी गई वरीयता के आधार पर इस संदर्भ में समान वित्तीय नियमावली/ संगतपूर्ण सरकारी अनुदेशों के अनुसार चयन किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्ताव की तैयारी और प्रस्तुतीकरण

15. प्रस्ताव दो भागों का होगा। भाग– I में, संगठन पैरा 13.1 से पैरा 13.3 में उल्लेख किये गये अनिवार्य मापदण्डों के अनुसार अपने प्रत्यय पत्र और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा और भाग–II में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव शामिल होगा। प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आर्थिक मानको का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस चरण पर प्रशिक्षुओं की सूची सौंपने की जरूरत ऐच्छिक है।

15.2 संपूर्ण प्रस्ताव (भाग–I एवं II) को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जिला कलेकटर को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे मंत्रालय को अपनी टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ मंत्रालय को सीधे ही भेज देगा। जिला प्रशासन को जरूरत होगी की वह प्रत्यय पत्र, संगठनों के क्रियाकलापों और क्षमताओं, अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले गांव/मुहल्ले का सत्यापन और गांव/मुहल्ले में ऐसे प्रशिक्षण की प्रस्तावित जरूरत और परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित अन्य कोई मामला, सुनिश्चित करे।

15.3 संगठन को अनिवार्य मानदण्डों पर अपने प्रस्ताव को जांच और विचार करने योग्य बनाने के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। संगठन को इस प्रयोजन के लिए कम से कम 70% अंक प्राप्त करने अपेक्षित हैं।

15.4 जैसे ही एक संगठन उपयुर्क्त पैरा 15.3 के अनुसार अर्हता प्राप्त कर लेता है, संगठन को निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षुओं की पूरी सूची प्रस्तुत करनी होगी जिसमें अनिवार्य रूप से, आयु, अर्हताएं, परिवार की आय का ब्यौरा, आधार सं/वोटर पहचान संख्या/सरकार द्वारा पहचान के लिए निर्धारित प्रारूप में अन्य कोई अर्हता, शामिल होंगी। ऐसे किसी संगठन कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जाएगा जो पंचायत प्रमुख/निगम का निकाय/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथावत प्रमाणित प्रशिक्षुओं की पूरी सूची प्रस्तुत नहीं करते।

15.5 योग्य संगठनों की परियोजना को मंत्रालय में स्वीकृति प्रदाता समिति के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। वित्तीय सहायता उन्हीं संगठनों को दी जाएगी, जिनके परियोजना प्रस्ताव को ठीक एवं क्रम में पाया जाता है तथा जो योजना के उद्देश्यों को पूरा करते हों।

15.6 **गांवों/क्षेत्रों का आधारभूत विवरण** : परियोजना प्रस्ताव में प्रत्येक गांव/क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत सुविधा एवं सेवाओं का विस्तृत विवरण होगा। प्रत्येक गांव की समस्याओं और शिकायतों से संबंधित आधारभूत विवरण के आधार पर नेतृत्व–क्षमता विकास प्रशिक्षण की उपलब्धि के आंकलन

में मदद मिलेगी। ऐसे प्रशिक्षणों से महिलाओं को अपनी समस्याओं को उजागर करके निराकरण हेतु सशक्त और साहसी बनने में मदद मिलेगी। आधार रेखा प्रोफाईल को सरकारी कार्मिकों की उपलब्धता, विद्यमान अवसरंचनाओं/सेवाओं की स्थिति और उन तक पहुंच, सेवा प्रदानगी का मानक और गुणवत्ता संबंधी, निम्नलिखित से संबंधित आदि को तथा नई/अतिरिक्त अवसंरचना/सेवाओं की आवश्यकता को कवर करना होगाः–

(i) शिक्षा (शिक्षण, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन);

(ii) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर टीकाकरण और पोषण;

(iii) स्वास्थ्य केन्द्रों/उप–केन्द्रों/औषधालयों में (स्वास्थ्य परिचर्या (ओपीडी), सांस्थानिक प्रसव, परिवार नियोजन, डॉक्टर, मेडिकल स्टॉफ, दवाईयां आदि);

(iv) उचित दर दुकानों/राशन दुकानों पर आवश्यक खाद्य सामग्री;

(v) पेय जल आपूर्ति;

(vi) व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालय/सफाई सुविधाएं;

(vii) घरों में विद्युत आपूर्ति

(viii) रोजगार अवसर (मनरेगा आदि);

(ix) कौशल विकास/प्रशिक्षण अवसर और सुविधा;

(x) महिलाओं पर अत्याचार/महिलाओं से संबंधित मामले;

(xi) डाकघर एवं बैंकिंग सेवाएं आदि।

16. परिणाम का आकलन

16.1 ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यान्वित अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम का आकलन महिलाओं द्वारा नेतृत्व की भूमिका धारण करने के सामर्थ्य तथा अवसर, कौशल, सुविधाओं और सेवाओ की प्राप्ति की दिशा में अपने अधिकारों की मांग सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से करने की क्षमता के आधार पर तथा स्वयं की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए

विकास से जुड़ी सरकार की योजनाओं के लाभ में अपनी हिस्सेदारी का दावा करने के आधार पर किया जाएगा। संगठन के परियोजना प्रस्ताव में महिला नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के लिए चुने गए गावों/स्थानों के विस्तृत विवरण के तहत उल्लिखित नागरिक/आधारभूत सुविधा तथा समाजार्थिक दशा से संबंधित सेवाओं और अवसंरचना की उपलब्धता के संदर्भ में वंचना का सामना कर रहे गांवों/स्थानों का आकलन परियोजना कार्यान्वयन अवधि के दौरान क्रियाकलाप से पहले और बाद की स्थिति के संदर्भ में किया जाएगा।

17. स्वीकृति प्रदाता समिति

17.1 योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं पर विचार करने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्वीकृति प्रदाता समिति गठित की जाएगी, जिसकी संरचना इस प्रकार होगी : –

(क)	सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	– अध्यक्ष
(ख)	वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	
(ग)	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	– सदस्य
(घ)	संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	– सदस्य
(ङ)	संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	– सदस्य
(च)	उप महानिदेशक, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (सीएपीएआरटी)	– सदस्य
(छ)	कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके)	– सदस्य
(ज)	सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण क्षेत्र, योजना आयोग	– सदस्य
(झ)	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी)	– सदस्य
(ञ)	संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (योजना से संबद्ध)	– संयोजक और सदस्य

18. धनराशि जारी करने हेतु नियम एवं शर्तें

वित्तीय सहायता देने के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें होंगी, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किसी भी चरण पर संशोधित किया जा सकता है :–

(क) संगठन की एक वेबसाईट होगी, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाईन दूरभाष नम्बरों, कार्मिकों, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के सभी ब्यौरे प्रदर्शित किए जाएंगे तथा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित की गई महिलाओं के नाम और आधार संख्या (जहां विशिष्ट पहचान–पत्र जारी किए गए हैं), पता और दूरभाष संख्या आदि तथा प्रशिक्षण के पश्चात और पोषण तथा देख–रेख अवधि के दौरान उनके जीवन और रहन–सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए किए गए क्रियाकलापों के पूरे ब्यौरे रखेगा और यह सूचना मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

(ख) संगठन के पास सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों जैसे संकाय द्वारा दिए जाने वाले व्याख्यान, सरकारी पदाधिकारियों, प्रदान किए जाने वाले भोजन, श्रव्य–दृश्य उपकरणों के इस्तेमाल, पेश आ रही समस्याओं के निदान के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा आयोजित की जा रही कार्यशालाओं आदि की फोटों लेने के लिए डिजिटल कैमरा होना चाहिए। इन कैमरों में जी0पी0एस0 रिसीवर के माध्यम से स्थितियों (अक्षांश और देशान्तर) से फोटों लेने की सुविधा होनी चाहिए। यदि ऐसा उपकरण संगठन में उपलब्ध नहीं है, तो उसे यह वचन देना होगा कि वह धनराशि जारी होने से पहले यह उपकरण प्राप्त कर लेगा।

(ग) संगठन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों को स्वीकारते हुए उस सक्षम अधिकारी के नाम का वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जो योजना के वास्तविक कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और दो प्रतिभूति के साथ एक बॉंड प्रस्तुत करना होगा और स्वीकृत अनुदान से संबंधित खातों को प्रस्तुत करने के लिए भी वह जिम्मेदार होगा। दो प्रतिभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा संबंधी प्रावधान केन्द्रीय और राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों पर लागू नहीं होगा।

(घ) संगठन को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय सहायता संबंधी अलग खाते का रख–रखाव करना होगा और निरीक्षण के लिए मंत्रालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।

(ङ) संगठन वित्तीय सहायता का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए करेगा।

(च) प्रशिक्षणार्थियों को वजीफा चैक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाएगा।

(छ) संगठन को यह आश्वासन देना होगा कि इस शर्त की उल्लंघन की दशा में सरकार से ली गई धनराशि को 18% वार्षिक दंडस्वरूप ब्याज दर के साथ अथवा मुख्य लेख नियंत्रक द्वारा निर्धारित दंड स्वरूप ब्याज दर के साथ लौटाना होगा तथा सरकार द्वारा आवश्यक मानी गई अन्य किसी कार्रवाई का सामना करना होगा।

(ज) संस्थान यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे कि प्रशिक्षण के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली महिलाओं का ही चयन की जाए।

(झ) संगठन यह वचनबंध देंगे कि इस परियोजना से संबंधित उनकी बही खाते केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों या किसी चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा निरीक्षण के लिए सुलभ रहेंगे।

(ञ) इस परियोजना के पूरा होने पर, संगठन द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित कागजातों के साथ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और लेखा परिक्षीत उपयोग प्रमाण–पत्र (जीएफआर–19ए) प्रस्तुत करना होगा :–

(i) वर्ष से संबंधित आय और व्यय के पूर्णतः लेखा परिक्षीत खाते/तुलन पत्र तथा वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि के संदर्भ में संस्थान के प्राप्ति और भुगतान के खाते।

(ii) इस आशय का एक प्रमाण–पत्र कि संस्थान ने भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकार, किसी सरकारी/गैर–सरकारी संगठन/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसी अथवा संयुक्त राष्ट्र से परियोजना के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(ट) प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर संगठन द्वारा इस आवश्यक उल्लेख के साथ बैनर/बोर्ड लगाये जाएंगे कि प्रशिक्षण/कार्यशाला का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है।

(ठ) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को कार्यक्रम आयोजन संबंधी पूर्व सूचना अग्रिम तौर पर मंत्रालय/राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासनों को दी जाएगी ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों को तैनात किया जा सके।

(ड) प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला आयोजित करने के प्रमाण स्वरूप इसके फोटोग्राफ और वीडियों क्लिपिंग मंत्रालय को प्रस्तुत करने होंगे। इन्हें संगठन द्वारा अपनी वेबसाइट पर भी दिखाया जाएगा।

(ढ) संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तिकाओं/प्रचार सामग्रियों आदि की प्रतियां मंत्रालय/राज्य सरकार को उपलब्ध कराएगा।

(ण) भारत सरकार को कार्यक्रम अथवा अनुमानित लागत में बदलाव करने संबंधी निदेश संगठन को देने का अधिकार होगा।

(त) सरकार को सहायता अनुदान जारी करने से पहले कोई अन्य शर्त निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(थ) गांवों/क्षेत्रों में परियोजना प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृत संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि यथासंभव तैनात अधिकांश प्रशिक्षक महिलाएं हों और इनमें से कुछ महिलाएं किसी संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय से हों।

19. किस्तों में धनराशि जारी किए जाने संबंधी अपेक्षाएं

19.1 संगठन को दो प्रतिभूतियों के साथ एक बॉन्ड भरना होगा और यह काफी होगा यदि यह सीधे जारी की जाने वाली राशि के बराबर का है बॉन्ड दो प्रतिभूतियों के साथ भरना होगा और प्रस्तुत करना होगा। दूसरी और बाद की किस्त की राशि जारी किए जाने का आधार स्वीकृति आदेश के अनुलग्नक में उल्लिखित संगठन द्वारा पूरा की जाने वाली विभिन्न अपेक्षाएं होंगी, जिसमें सभी कार्यों/प्रशिक्षणों का फोटोग्राफ के रूप में प्रमाण, संगठन द्वारा आवधिक रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण–पत्र आदि शामिल होंगे। दूसरी किस्त जारी किए जाने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण कार्य से जुड़े जिला अधिकारी द्वारा निर्धारित फोरमेट में प्रशिक्षण को संतोषजनक पूरा किए जाने की निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक होगी।

19.2 फोटोग्राफ स्वीकृति आदेश में यथा उल्लिखित प्रतिदिन के सभी कार्यों का फोटों संगठन में उपलब्ध जी0पी0एस0 मोबाइल फोन के माध्यम से लिया जाएगा तथा मंत्रालय को इंटरनेट के पते पर प्रतिदिन भेजा जाएगा। संगठन द्वारा किए गए सभी कार्यों का फोटोग्राफ मंत्रालय और राज्य सरकार को भेजे जाने पर ही दूसरी और बाद की किस्त जारी की जाएगी। संगठन इन फोटोग्राफों को अपनी

वेबसाइट पर भी डालेंगे और इसकी सूचना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राज्य सरकार और संबंधित जिला अधिकारियों को देंगे।

19.3 निधियां जारी करना : मंत्रालय द्वारा संबद्ध संगठन को स्वीकृत परियोजना प्रस्ताव के आधार पर निम्नलिखित ढंग से किश्तों में धनराशि जारी की जाएगी :–

गैर–आवासीय गांवों / शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए:

प्रथम किश्त: स्वीकृत परियोजना लागत का 50% प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और भत्तों / वृत्तिका के लिए व्यय हो। कार्यशाला आयोजन के लिए धनराशि एकमुस्त प्रथम किस्त के साथ जारी की जाएगी।

दूसरी किश्त: प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित महिलाओं में से कम–से–कम 50% महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जो पंचायत प्रमुख / निगम निकाय प्रमुख / प्रमुख स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

आवासीय प्रशिक्षण संस्थानों के लिए:

प्रथम किश्त: स्वीकृत परियोजना लागत का 50% प्रशिक्षण शुरू होने से पहले जारी किया जाएगा। संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धनराशि प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन और भत्तों / वृत्तिका के लिए व्यय हो।

दूसरी किश्त: प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषजनक पूरा होने के आशय का तथा प्रशिक्षित महिलाओं में से कम–से–कम 50% महिलाओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, जो पंचायत प्रमुख / निगम निकाय प्रमुख / प्रमुख स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाएगी।

20. इलेक्ट्रानिक माध्यम से निधि का अंतरण

20.1 बैंको द्वारा निधियों का अंतरण इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा, जहाँ कहीं ऐसे अंतरण की सुविधा उपलब्ध है।

20.2 संगठन/प्रशिक्षण संस्थान के खाते में सीधे ई–भुगतान के लिए संगठन को भुगतान प्राप्तकर्ता की ओर से एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें संस्थान को ई–भुगतान से संबंधित पूरे ब्यौरे यथा – भुगतानकर्ता का नाम, बैंक का आई एफ सी कोड नं., बैंक शाखा, बैंक शाखा का नाम, और संख्या पता आदि शामिल होगा। गलत खाता संख्या से बचने के लिए प्राधिकार पत्र पर बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाएगा। पूरे वित्त वर्ष के लिए अथवा वर्ष के दौरान खाता संख्या बदले जाने तक के लिए केवल एक प्राधिकार पत्र अपेक्षित होगा।

21. पारदर्शिता

21.1 संगठन की एक वेबसाइट होगी, जिसमें संगठन, मुख्यालय, क्षेत्र कार्यालयों, लैंड लाईन दूरभाष नम्बरों, कार्मिक, पिछले कार्यों तथा क्रियाकलापों के ब्यौरे तथा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित की गई महिलाओं के नाम, आधार नम्बर, पता, दूरभाष संख्या, प्रशिक्षण के बाद एवं पोषण तथा देख–रेख आवधि के दौरान उनके जीवन और रहन–सहन दशाओं में सुधार लाने के लिए किए गए क्रिया–कलापों आदि के सभी ब्यौरे प्रदर्शित करना आवयक है। मंत्रालय को यह सूचना देने से योजना के तहत महत्वपूर्ण तत्व का निर्माण होगा, जिससे सामाजिक लेखा परीक्षा की जा सकेगी। संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि आयोजित नेतृत्व विकास प्रशिक्षण के प्रश्न और उत्तर सत्रों सहित फोटोग्राफ और छोटे क्लिप्स लिए जाएं तथा वेबसाईट पर डालें और मंत्रालय को उपलब्ध कराए जाएं।

22. निगरानी एवं मूल्यांकन

22.1 संगठन द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं के प्रगति की निगरानी के लिए मंत्रालय एक तंत्र स्थापित करेगा तथा इस प्रयोजन से संबद्ध राज्य सचिव तथा कुछ ख्यातिप्राप्त महिलाओं/गैर–सरकारी संगठनों को समीक्षा बैठकों में आमंत्रित करेगा। स्वीकृति प्रदाता समिति द्वारा भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महिलाओं और गैर–सरकारी संगठनों को निगरानी हेतु कुछ राशि भुगतान की जा सकती है।

प्रदाता समिति द्वारा भी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। महिलाओं और गैर–सरकारी संगठनों को निगरानी हेतु कुछ राशि भुगतान की जा सकती है।

22.2 बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समितियों, जिसमें जनता के प्रतिनिधि भी शामिल हों, को भी इस कार्यक्रम की निगरानी का काम भी सौंपा जा सकता है।

22.3 कार्यान्वयन संगठनों का आर्थिक अनुवीक्षण इस कार्य के लिए मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल सनदी लेखाकार द्वारा भी किया जाना चाहिए जिसके लिए भुगतान योजना के उप–शीर्ष व्यवसायिक प्रभारों से दिया जाएगा।

22.4 योजना का मध्यावधि मूल्यांकन 2015–16 में किया जाएगा। मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान मंत्रालय विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण मॉड्यूलों की जरूरत, ऐसे प्रशिक्षणों की वित्तीय अर्थक्षमता, अधिकतम महिलाएं जिनको संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया जा सकता है, की समीक्षा करेगा। इसे अनुसंधान/अध्ययन, प्रचार सहित विकास योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन के अंतर्गत, मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेसिंयों द्वारा अनुभवप्राप्त अधिकारी, महिलाओं, गैर–सरकारी संगठनों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

22.5 परियोजना का प्रभाव आकलन और मूल्यांकन समय–समय पर अथवा अपेक्षित होने पर उपर्युक्त अनुसार मंत्रालय के पैनल में शामिल एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ऐसे अध्ययनों के लिए धनराशि मंत्रालय की अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की मौजूदा योजना के तहत उपलब्ध करायी जाएगी।

23. योजना की समीक्षा

23.1 मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा कार्यान्वयन के एक वर्ष बाद की जाएगी।

23.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय, क्षेत्रीय जरूरतों और लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जब भी आवश्यक हो, कार्यान्वयन में सुधार के लिए वित्तीय पहलुओं को शामिल न करके, योजना में परिवर्तन/आशोधन कर सकता है।

*****

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
ग्यारवाँ तल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ कॉप्लैक्स
सहायता केन्द्र–1800 11 2001 (टोल फ्री) वैब्साइटः www.minorityaffairs.gov.in